

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी दशरथ जाल विपक्षी बाबु लाल
 किस्म मुकदमा 88/188 P.N. 82 पत्रावली संख्या 119/11 सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली सूचनाएं जारी
	<p><u>10/06/24</u> बकुलाय वादी/प्रतिवादी उप... <u>चालान रसीद</u> / <u>साक्ष्यवादी</u> के लिये भीजा जाये है। अतः... <u>अतिम</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि... <u>11/07/24</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p> <p><u>11/7/24</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उप.। अधि.वादी को पत्रावली अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्यवादी/चालान रसीद पेश नहीं की। न्यायदिन में साक्ष्य अवसर इस शर्त पर दिया जाता है कि आगामी पेशी पर साक्ष्यवादी/चालान रसीद आवश्यक रूप से पेश कर देवे। साक्ष्यवादी/चालान रसीद पेश नहीं देने पर साक्ष्यवादी का अवसर स्वयः खदे समझा जाकर अर्थात् कार्यवाही उम्पाविद कर ही जायेगी/पत्रावली वाले (अर्थात् कार्यवाही दिनांक 25/7/24 को पेश हो)।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><u>25/7/24</u> पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता मय वादीगण को आवाजे दिखवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता मय वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अहम हाजरी अहम पंरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

